

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी आक्षेप-I/2018/ दिनांक : 12.09.2008

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14(88)वित्त(नियम)/2008-I दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री सुल्तान सिंह, वरिष्ठ सहायक, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) दौसा जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 01.08.1990(च.श्रे.क.) है, को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.08.2017 से 9300-34800 व ग्रेड पे 3600 एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी आक्षेप-I/2018/2169
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 25/07/18

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
2. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) दौसा।
3. श्री सुल्तान सिंह, वरिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर